कर्मचारी
सारांश वचन पत्र 2023

पेंशनर्स

- पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करेंगे।
- परिवार पेंशन के पुनर्निधारण की अवधि को घटायेंगे।
- म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त करेंगे।
- सहकारिता के कर्मियों के लिए पेंशन नियामक प्राधिकरण का गठन करेंगे।
- विद्युत मण्डल के कर्मियों को शासकीय कोषालय से पेंशन उपलब्ध कराने की मांग पर न्याय करेंगे।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवानिवृत्त व्याख्याताओं को 7वें वेतनमान पर वेतन निर्धारण कर पेंशन का भुगतान न्याय करेंगे।
- पेंशनर्स परिवार का 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा करायेंगे।

पदोन्नतियाँ व समयमान वेतनमान

- प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की रुकी हुई पदोन्नतियाँ शीघ्र प्रारंभ करायेंगे।
- पदोन्नति के मामले में न्यायालयीन बाधाओं को दूर करेंगे।
- पदोन्नति के पदों के अभाव में समयमान वेतनमान देंगे।
- समयमान वेतनमान 3 चरण से बढ़ाकर 4 चरण में करेंगे।

स्वास्थ्य बीमा

- कर्मचारियों एवं अधिकारियों का परिवार सहित 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा करायेंगे।

वेतन, भत्ते एवं पदनाम

- वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु आयोग का गठन करेंगे।
- पटवारी, पुलिस, वन विभाग के रेंज आफीसर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं शीघ्रलेखकों आदि के ग्रेड-पे में सुधार करेंगे।
- 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा।
- शिक्षक संवर्ग, वाहन चालक, भृत्य, सफाईकर्मी आदि के नये पदनाम उनकी मांग के अनुरूप किये जायेंगे।
- कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समय-सीमा में न्यायोचित निराकरण हेतु अधिकार सम्पन्न कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन करेंगे।

भर्तियाँ

- सरकारी भर्तियों में लगी रोक हटायेंगे। भर्तियाँ करेंगे।
- वाहन चालक व भृत्य के पद पुनर्जीवित कर भरे जायेंगे।
- बैकलॉग के पदों को भरने का भर्ती अभियान चलायेंगे।

स्थानांतरण नीति

- कर्मचारियों के अनुकूल, व्यावहारिक एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनायेंगे।
- स्थानांतरण के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेंगे।

अनुकम्पा नियुक्ति

- अनुकम्पा नियुक्ति के नये नियम बनायेंगे।
- दत्तक पुत्र एवं पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान करेंगे।
- अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अवयस्कों को आवेदन करने की अवधि में छूट देंगे।

कर्मचारी संगठन

- सभी स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक 4 माह में करायेंगे।
- कर्मचारी संगठनों का मुख्यमंत्री से सीधा संवाद बनाये रखेंगे।
- कर्मचारी संगठनों के कार्यालयों के संचालन में सहयोग व पदाधिकारियों को संरक्षण देंगे।

अर्द्ध शासकीय सेवाओं के कर्मियों के साथ न्याय

मान्यता एवं न्याय

- आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन वेतन भोगी एवं नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय, निगम, मण्डल, आयोग एवं सरकारी कम्पनी के कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह भविष्य सुरक्षित रखने की और कदम बढ़ायेंगे एवं इनके साथ न्याय करेंगे।
- पहली केबिनेट में नियमितीकरण एवं अन्य मांगों के निराकरण के लिए स्थाई आयोग गठित करेंगे। मांगों के निराकरण का कैलेण्डर जारी करेंगे।
- शासकीय विभागों में विशेषज्ञ पदों को छोड़कर शेष पदों पर चरणबद्ध आउटसोर्स, संविदा, मानदेय पर कार्य कराने की प्रथा समाप्त करेंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा-ऊषा एवं रसोइयों की मांगो पर न्याय करेंगे।
- कोविड स्वास्थ्य कर्मियों के साथ न्याय करेंगे।

नियमितीकरण

- मानदेय नहीं वेतनमान देंगे। सरकारी भर्ती में प्राथमिकता देंगे।
- बिना कारण के सामूहिक रूप से सेवा से नहीं निकालेंगे।

सुविधाएँ

- परिवार सहित 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा व 10 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ देंगे।
- आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि देंगे।
- अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान करेंगे।
- आवास एवं वाहन हेतु ऋण की सुविधा देंगे।
- प्रोविडेंट फंड के खाते खोलेंगे।

बढ़ाइये हाथ फिर कमलनाथ